भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4323
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तम्बाकू और शराब का सेवन

4323. श्री जिया उर रहमानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तम्बाकू और शराब के सेवन को कम करने के लिए कोई नीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही नीतियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित दो व्यापक विधान अधिनियमित किए हैं:

- तंबाकू के इस्तेमाल के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जनता को बचाने के उद्देश्य से तंबाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (सीओटीपीए), 2003

- ई-सिगरेट और इस तरह के उपकरणों के सेवन के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जनता की रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019

सीओटीपीए, 2003 और पीईसीए, 2019 के प्रावधानों का प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है।

तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना; नियमित और सतत जन

जागरूकता अभियानों के माध्यम से तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर सीओटीपीए, 2003 के प्रवर्तन के लिए अभियान चलाते हैं। प्रवर्तन प्रयासों की मॉनिटरिंग राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (एसटीसीसी) और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों (डीटीसीसी) द्वारा भी की जाती है। मंत्रालय ने सीओटीपीए, 2003 की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था के लिए दिशा-निर्देश" भी जारी किए हैं।

जैसा कि सूचित किया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मादक पदार्थों के उपयोग के मुद्दे का समाधान करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के कार्यक्रमों आदि के लिए राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को;
ii. व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), किशोरों में कम आयु में नशीली दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेनशन (सीपीएलआई), आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटरों (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को; और
iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

एनएपीडीडीआर योजना के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:

- वर्तमान में 347 आईआरसीए, 46 सीपीएलआईएस, 74 ओडीआईसी, 71 डीडीएसी और सरकारी अस्पतालों में 117 एटीएफ को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन सभी सुविधा केन्द्रों तक जरूरतमंद लोगों की आसानी से पहुंच के लिए जियो-टैग किया गया है।

- नशामुक्ति के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन, '14446' का रखरखाव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.18 लाख से अधिक कॉल आ चुके हैं।

- नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) दिनांक 15 अगस्त, 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चिन्हित 272 जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश भर के सभी

जिलों में बढ़ा दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जनता तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान देने के साथ मनः प्रभावी पदार्थों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

- अब तक, एनएमबीए के तहत मूल स्तर पर की गई विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से 13.57 से अधिक करोड़ लोगों को मनः प्रभावी पदार्थों के उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाया गया है, जिसमें 4.42 से अधिक करोड़ युवा और 2.71 से अधिक करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 3.85 से अधिक लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

- एनएमबीए का समर्थन करने और जन जागरूकता कार्यकलापों का संचालन करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- इस अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

- एनएमबीए वेबसाइट उपयोगकर्ता/दर्शक को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

- एनएमबीए वेबसाइट पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ दिनांक 12 अगस्त, 2024 को देश भर में ऑनलाइन आयोजित की गई और 2 से अधिक लाख संस्थानों के कुल लगभग 3 से अधिक करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रतिज्ञा में भाग लिया।

- मंत्रालय ने शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं की शिक्षा पर एक नई चेतना) विकसित किया है। नव चेतना मॉड्यूल का उद्देश्य भारत के स्कूलों में छात्रों के बीच जीवन कौशल और नशीली दवाओं पर जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाना है।

- यह मंत्रालय अपने स्वायत्तशासी निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और एससीईआरटीएस, केन्द्रीय विद्यालय संगठन इत्यादि जैसी अन्य सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों इत्यादि सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता पैदा करने और अभिमुखीकरण सत्र आयोजित करता है।

*****